

## अध्याय- II

### वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

#### 2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे व्यय के लेखे हैं, जिनसे सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दत्तमत एवं भारित व्ययों की, विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोगों की राशियों के साथ तुलना की जाती है। यह लेखे, वास्तविक बजट प्राक्कलन, अनुपूरक अनुदान, समर्पण और पुनर्विनियोग को पृथक रूप से संसूचित करते हैं और बजट के दोनों भारित और दत्तमत मदों के सम्बन्ध में विनियोग अधिनियम में प्राधिकृत व्यय के सापेक्ष विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को इंगित करते हैं। अतः विनियोग लेखे वित्त के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को आसान बनाते हैं और इसलिए वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह छानबीन करने का प्रयास करती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय, विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार के अन्दर है और जो व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित होना चाहिए, भारित किया गया है। लेखापरीक्षा यह भी छानबीन करती है कि क्या किया गया ऐसा व्यय विधि, सम्बन्धित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

#### 2.2 विनियोग लेखे का सारांश

वर्ष 2010-11 के दौरान 31 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका 2.1 में दी गयी है:

तालिका-2.1: वर्ष 2010-11 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	1,02,34.27	10,98.92	1,13,33.19	1,00,03.96	(-) 1,329.23
	II पूँजीगत	20,04.07	6,87.22	26,91.29	33,27.07	(+) 635.78
	III ऋण एवं अग्रिम	1,50.54	-	1,50.54	59.68	(-) 90.86
<b>योग-दत्तमत</b>		<b>1,23,88.88</b>	<b>1,786.14</b>	<b>1,41,75.02</b>	<b>1,33,90.71</b>	<b>(-) 784.31</b>
भारित	IV राजस्व	17,62.38	32.90	17,95.28	16,36.07	(-) 159.21
	V पूँजीगत	1.01	5.81	6.82	2.03	(-) 4.79
	VI लोक ऋण-पुनर्भुगतान	1299.63	-	1299.63	1180.34	(-) 119.29
<b>योग-भारित</b>		<b>30,63.02</b>	<b>38.71</b>	<b>3101.73</b>	<b>28,18.44</b>	<b>(-) 283.29</b>
आकस्मिकता निधि में विनियोग (यदि कोई हो)		-	-	-	-	
<b>कुल योग</b>		<b>1,54,51.90</b>	<b>1824.85</b>	<b>1,72,76.75</b>	<b>1,62,09.15</b>	<b>(-) 1,067.60</b>

₹ 1,067.60 करोड़ (तालिका 2.1) की समग्र बचत, राजस्व खण्ड (37 प्रकरणों) और पूँजीगत खण्ड (23 प्रकरणों) के अनुदान तथा विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 2,362.99 करोड़ की बचत जो छः अनुदानों व तीन विनियोगों में ₹ 1,295.39 करोड़ के आधिक्य के परिणामस्वरूप थी।

जिन विभागों के विरुद्ध महत्वपूर्ण बचत वर्ष के दौरान जानकारी में आयी वे वित्त (₹ 375.16 करोड़), ऊर्जा (₹ 286.69 करोड़), जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास (₹ 372.80 करोड़), अनुसूचित जातियों का कल्याण (₹ 214.30 करोड़), शिक्षा, खेलकुद, युवा कल्याण एवं संस्कृति (₹ 236.22 करोड़) तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 186.91 करोड़) थे। इसी प्रकार वर्ष 2010-11 के दौरान जिन विभागों में आवंटन पर महत्वपूर्ण व्ययाधिक्य पाया गया उनमें खाद्य (₹ 1,207.14 करोड़), कृषि (₹ 30.82 करोड़), सिंचाई (₹ 28.09 करोड़), लोक निर्माण विभाग (₹ 25.87 करोड़) तथा उद्यान (₹ 3.00 करोड़) थे।

पर्याप्त बचत/आधिक्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध करते हुए बचत/आधिक्य (विस्तृत विनियोग लेखे) को उन्हें सूचित किया गया था (जुलाई 2011)। उनके उत्तर नवम्बर 2011 तक प्रतीक्षित थे।

## 2.3 वित्तीय दायित्व और बजट प्रबन्धन

### 2.3.1 व्यय के सापेक्ष विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा से यह प्रकट हुआ कि बचत 52 प्रकरणों में, प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं 22 प्रकरणों में कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थीं (परिशिष्ट-2.1)। ₹ 2,362.99 करोड़ की कुल बचत के विरुद्ध नौ अनुदानों तथा दो विनियोगों से सम्बन्धित 14 प्रकरणों में ₹ 1,904.96 करोड़ (80.62 प्रतिशत)<sup>1</sup> की बचत हुई जैसा कि तालिका-2.2 में प्रदर्शित है।

तालिका-2.2: ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों/विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत
राजस्व-दत्तमत						
1	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	1,818.59	54.63	1,873.22	1,766.87	106.35
2	11- शिक्षा, खेलकुद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	2,864.34	374.15	3,238.49	3,062.47	176.02
3	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	688.07	28.05	716.12	591.73	124.39
4	13- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	748.11	99.67	847.78	474.98	372.80
5	15- कल्याण	375.77	89.49	465.26	381.54	83.72

<sup>1</sup> प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से ऊपर।

6	19- ग्राम्य विकास	433.40	29.48	462.88	387.66	75.22
7	17- कृषि कार्य एवं शोध	370.65	60.84	431.49	348.78	82.71
8	30 – अनुसूचित जातियों का कल्याण	448.01	41.19	489.20	393.01	96.19
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>						
9	11- शिक्षा,खेलकूद,युवा कल्याण एवं संस्कृति	47.63	1,11.97	159.60	99.40	60.20
10	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	110.67	18.73	129.40	66.88	62.52
11	21- ऊर्जा	385.65	10.69	396.34	109.65	286.69
12	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	210.95	49.65	260.60	142.49	118.11
<b>राजस्व -भारित</b>						
13	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	1,715.93	30.47	1,746.40	1,605.65	140.75
<b>पूँजीगत – भारत</b>						
14	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	1299.63		1299.63	1180.34	119.24
<b>योग</b>		<b>11,517.40</b>	<b>999.01</b>	<b>12,516.41</b>	<b>10,611.45</b>	<b>1904.96</b>

बचत के कारण नवम्बर 2011 तक प्रतीक्षित थे।

### 2.3.2 निरन्तर बचत

19 प्रकरणों में, पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक की निरन्तर बचत थीं (तालिका -2.3)।

तालिका -2.3: पिछले पाँच वर्षों के दौरान निरन्तर बचत को प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
<b>राजस्व-दत्तमत</b>						
1	04- न्याय प्रशासन	15.59	18.69	16.29	28.57	29.91
2	05- निर्वाचन	1.37	3.82	3.68	3.65	1.03
3	06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	90.37	30.52	67.57	56.74	29.52
4	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	114.41	106.16	394.33	418.97	106.35
5	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	172.06	86.33	122.06	91.88	124.39
6	13- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	423.35	68.45	88.69	47.75	372.80
7	15- कल्याण	23.84	36.41	93.53	80.43	83.72
8	16- श्रम एवं रोजगार	42.48	38.41	35.29	5.61	12.08

9	18- सहकारिता	7.96	1.39	7.72	1.83	4.87
10	19- ग्राम्य विकास	71.45	49.63	45.13	70.21	75.22
11	22- लोक निर्माण	68.41	29.78	51.18	28.64	34.94
12	23- उद्योग	43.21	14.96	13.08	1.34	5.15
13	24- परिवहन	21.57	10.10	11.56	5.62	2.52
14	26- पर्यटन	1.20	0.71	2.31	2.85	2.92
15	28- पशुपालन	19.64	12.18	7.38	8.49	15.53
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>						
1	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	126.95	24.06	45.12	51.24	8.78
2	11- शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	71.17	16.97	14.57	7.80	60.20
3	15- कल्याण	16.25	2.15	6.39	5.09	13.74
4	23- उद्योग	122.69	40.58	5.41	9.55	11.54

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 में उल्लेख किए जाने के बावजूद भी वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण संख्या में निरन्तर बचत के प्रकरण प्रकाश में आये जो निधियों की आवश्यकता से अधिक निर्धारण का सूचक है। इसकी समीक्षा की आवश्यकता है।

### 2.3.3 व्ययाधिक्य

पाँच प्रकरणों में, ₹ 2,456.57 करोड़ का समग्र व्यय अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 1,294.45 करोड़ अधिक था और प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था। इसका ब्यौरा परिशिष्ट-2.2 में दिया गया है। इनमें से निम्न अनुदानों/शीर्षों (तालिका 2.4) में पिछले पाँच वर्षों में निरन्तर व्ययाधिक्य देखा गया है:

तालिका-2.4: वर्ष 2006-11 के दौरान निरन्तर व्ययाधिक्य प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	व्ययाधिक्य की राशि				
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>						
1	17- कृषि कार्य एवं शोध (दत्तमत)	4.15	14.81	11.72	11.73	30.82
2	25- खाद्य	404.16	367.77	564.40	916.31	1207.14
<b>योग</b>		<b>408.31</b>	<b>382.58</b>	<b>576.12</b>	<b>9,28.04</b>	<b>12,37.96</b>

इन अनुदानों/शीर्षों में निरन्तर व्ययाधिक्य काल्पनिक बजट मान्यताओं का सूचक है। अतः सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्ध हेतु, इन शीर्षों के अन्तर्गत निधियों की आवश्यकता का निर्धारण अधिक यथार्थवादी होना चाहिए ताकि भविष्य में निरन्तर व्ययाधिक्य की पुनरावृत्ति न हो।

निरन्तर व्ययाधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2011)।

#### 2.3.4 बिना प्रावधान के व्यय

बजट नियमावली के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि यह देखा गया कि, मूल आकलन/अनुपूरक मांग बिना किसी प्रावधान और इसको प्रभावी बनाने वाले किसी पुनर्विनियोजन आदेश के बिना, एक प्रकरण में ₹ 2.99 करोड़ का व्यय कर दिया गया, जैसा तालिका-2.5 में विस्तारित है।

तालिका-2.5: वर्ष 2010-11 के दौरान बिना प्रावधान के किये गये व्यय

(₹ करोड़ में)

अनुदान की संख्या एवं नाम	बिना प्रावधान के व्यय की राशि	कारण/अभ्युक्तियाँ
29-उद्यान विकास पूँजीगत (दत्तमत)	2.99	कारण प्रतीक्षित थे

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में उल्लेख के बावजूद राज्य सरकार द्वारा इसको संज्ञान में लिया जाना प्रतीत नहीं होता है और इस वर्ष भी बजट प्रावधान के बिना इसी शीर्ष में ₹ 2.99 करोड़ का व्यय किया है जो कि अनियमित व अनधिकृत है और इसके विनियमन की आवश्यकता है।

#### 2.3.5 विगत वर्षों से सम्बन्धित विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक व्यय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए अनुदान/विनियोग पर व्ययाधिक्य का राज्य विधायिका द्वारा विनियमन किया जाना अनिवार्य है। यद्यपि अनुच्छेद के अन्तर्गत, व्यय के विनियमन की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है, व्ययाधिक्य का विनियमन लोक लेखा समिति (पी ए सी) द्वारा विनियोग लेखों पर चर्चा पूर्ण होने के पश्चात् किया जाता है। तथापि, 2005-10 के वर्षों के लिए ₹ 4,487.11 करोड़ की राशि के व्ययाधिक्य का राज्य विधानमण्डल द्वारा विनियमन अब तक किया जाना प्रतीक्षित था। विनियमन हेतु लम्बित व्ययाधिक्य की वर्षवार राशि तालिका-2.6 में सारांशित है:

तालिका-2.6: विगत वर्षों से सम्बन्धित विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संख्या		प्रावधान से अधिक व्यय की राशि	विनियमन की स्थिति
	अनुदान/विनियोग	अनुदान/विनियोगों के ब्यौरे		
2005-06	7	7,8,17,20,22,25एवं29	663.50	राज्य सरकार द्वारा स्थिति सूचित नहीं की गयी
2006-07	6	7,17,20,22,25एवं 29	935.92	
2007-08	6	7,17,20, 22,25 एवं 29	733.79	
2008-09	6	7,17, ,20,22,25एवं29	1,146.41	
2009-10	7	7,17,18,21,22,25एवं29	1,007.49	
<b>योग</b>			<b>4,487.11</b>	

विगत वर्षों के अनुदानों/तीन विनियोगों में प्रावधान से अधिक किये गये व्यय को राज्य विधायिका द्वारा शीघ्रातिशीघ्र विनियमन कराने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

### 2.3.6 वर्ष 2010-11 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

तालिका 2.7 में वर्ष 2010-11 के दौरान छः अनुदानों/तीन विनियोगों में राज्य की संचित निधि (सी एफ एस) से प्राधिकृत से अधिक व्यय ₹ 12,95,40,01 हजार का सार सम्मिलित है।

तालिका-2.7: 2010-11 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

(₹ हजार में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	व्ययाधिक्य
<b>राजस्व-दत्तमत</b>				
1	20 सिंचाई एवं बाढ़	2,83,61,58	3,11,24,11	27,62,53
2	21 ऊर्जा	9,02,35	9,49,50	47,15
<b>राजस्व -भारित</b>				
	10 पुलिस एवं कारागार	...	43	43
	12 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	...	02	02
	15 कल्याण	...	40	40
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>				
1	17 कृषि कार्य एवं शोध	12,80,00	43,61,86	30,81,86
2	20 सिंचाई एवं बाढ़	4,23,88,39	4,24,35,31	46,92
3	22 लोक निर्माण	8,62,75,01	8,88,61,66	25,86,65
4	25 खाद्य	2,95,01	12,10,09,37	12,07,14,36
5	29 उद्यान विकास	-	2,99,69	2,99,69
<b>योग</b>		<b>15,95,02,34</b>	<b>28,90,42,35</b>	<b>12,95,40,01</b>

राज्य सरकार/विभाग द्वारा व्ययाधिक्य के कारणों को नवम्बर 2011 तक सूचित नहीं किया गया था।

वर्ष 2010-11 के दौरान अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक किये गये व्यय की संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत विनियमित करने की आवश्यकता है।

### 2.3.7 अनावश्यक/अधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 25 प्रकरणों में जिसमें प्रत्येक प्रकरण ₹ 10 लाख या उससे अधिक का था, कुल ₹ 550.66 करोड़ प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि अनुदान के अन्तर्गत किया गया व्यय मूल प्रावधान की सीमा के अंदर ही था जैसा परिशिष्ट-2.3 में विस्तारित किया गया है। चार प्रकरणों में, ₹ 325.82 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था, यह कमी प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक थी जिससे ₹ 12,91.45 करोड़ का

व्ययाधिक्य अनाच्छादित पड़ा रहा (परिशिष्ट 2.4)। अनाच्छादित व्ययाधिक्य में से ₹ 12,07.14 करोड़ (93.47 प्रतिशत) का व्यय अकेले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किया गया जो विभाग के कमजोर वित्तीय प्रबंधन का सूचक है।

### 2.3.8 निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, एक ही अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ बचतें पूर्वानुमानित हों, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो, निधियों का स्थानान्तरण है। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन अधिक या अपर्याप्त सिद्ध हुआ और परिणामस्वरूप 86 उपशीर्षों में ₹ 10 लाख और उससे अधिक बचत/आधिक्य हुआ जैसा कि परिशिष्ट-2.5 में विस्तारित है। इनमें से तीन प्रकरणों में ₹ 20 करोड़ और उससे अधिक की बचत हुई यथा, केन्द्रीय प्रायोजित योजना शिशु कल्याण के कारण कल्याण विभाग के अंतर्गत ₹ 31.90 करोड़, सिंचाई विभाग केन्द्रीय योजना हेतु नई परियोजनाओं के कारण सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण के अन्तर्गत ₹ 41.67 करोड़ तथा विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय के कारण अनुदान ऊर्जा के अन्तर्गत ₹ 76.50 करोड़।

बचत के कारण सरकार द्वारा नवम्बर 2011 तक उपलब्ध नहीं कराये गये थे। उक्त तीन प्रकरणों में पर्याप्त बचत प्रदर्शित करती हैं कि सम्बद्ध विभागों द्वारा निधियों को व्यय नहीं किया जा सका जैसा कि योजनाओं के अन्तर्गत प्राक्कलित एवं नियोजित था।

### 2.3.9 पर्याप्त अभ्यर्पण

62 उपशीर्षों में, योजनाओं/कार्यक्रमों के अकार्यान्वयन या मंद कार्यान्वयन के कारण पर्याप्त अभ्यर्पण (वे प्रकरण जहाँ कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्पित किया गया) हुए। इन 62 योजनाओं में ₹ 262.53 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 209.40 करोड़ (79.76 प्रतिशत) का अभ्यर्पण (सामान्य व आर्थिक सेवा खण्डों के अन्तर्गत) किया गया जिसमें 11 योजनाओं में शत प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ 17.94 करोड़) सम्मिलित है जैसा कि परिशिष्ट-2.6 में विस्तारित है।

### 2.3.10 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

छः प्रकरणों में, अभ्यर्पित की गयी राशि (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) वास्तविक बचत से अधिक थी जो इन विभागों में बजटीय नियन्त्रण की कमी को इंगित करता है। इन प्रकरणों में ₹ 211.45 करोड़ की बचत के विरुद्ध अभ्यर्पित राशि ₹ 229.62 करोड़ थी परिणामस्वरूप ₹ 18.17 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण अविवेकपूर्ण किया गया। विवरण परिशिष्ट -2.7 में दिये गये हैं।

### 2.3.11 अनुमानित बचत जो अभ्यर्पित नहीं हुई

बजट नियमावली के अनुसार, व्यय करने वाले विभागों के लिए जब और जैसे ही बचत का पूर्वानुमान हो जाए, आवश्यक है कि अनुदानों/विनियोगों या उनका एक भाग वित्त विभाग को अभ्यर्पित करें। तथापि, वर्ष 2010-11 के अंत में, छः अनुदान/विनियोग ऐसे थे जिनमें ₹ 10

करोड़ या अधिक की बचत हुई फिर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 372.22 करोड़ ( कुल बचत का 15.75 प्रतिशत ) थी (परिशिष्ट-2.8)।

इसी प्रकार, ₹ 1,744.24 करोड़ की बचत (वे प्रकरण जिसमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक हुई), में से ₹ 669.11 करोड़ अभ्यर्पित किया गया था और ₹ 1,075.13 करोड़ (कुल बचत का 61.64 प्रतिशत), अभ्यर्पित नहीं किया गया था। इसे परिशिष्ट-2.9 में विस्तृत रूप से प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त नौ प्रकरणों में ( ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों का अभ्यर्पण), ₹ 402.56 करोड़ मार्च 2011 के अंतिम दो कार्य दिवसों में अभ्यर्पित किए गए (परिशिष्ट-2.10)। यह अभ्यर्पण के अभिप्रेत प्रयोजन की विफलता का परिचायक है क्योंकि यह धनराशि अन्य विकासात्मक कार्यों के प्रयोग में नहीं लायी जा सकी।

### 2.3.12 व्यय की तीव्रता

तालिका-2.8: वित्तीय वर्ष 2010-11 के समापन के समय व्यय की तीव्रता के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2011 के दौरान व्यय	
			राशि (₹ करोड़ में)	कुल व्यय का प्रतिशत	राशि (₹ करोड़ में)	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	2030	27.18	14.19	52	11.30	42
2	2402	1.90	1.41	60	0.71	37
3	2501	84.86	59.79	70	29.64	35
4	3054	101.29	54.91	54	45.31	45
5	3604	407.68	207.49	51	172.83	42
6	4202	121.37	91.25	75	62.35	51
7	4210	67.75	35.19	52	22.45	33
8	4225	8.37	8.37	100	7.72	92
9	4401	46.62	34.77	75	31.79	68
10	4406	16.47	10.66	65	10.24	62
11	4425	0.76	0.76	100	0.76	100
12	4701	2.11	1.80	85	1.05	50
13	4702	200.40	143.98	72	96.45	48
14	4711	20.63	15.64	76	13.53	66
15	4851	3.15	1.93	61	1.63	52
<b>योग</b>		<b>1110.54</b>	<b>682.14</b>		<b>507.76</b>	

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

वित्तीय विनियम के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में व्यय की तीव्रता से बचना चाहिए। इसके विपरीत, परिशिष्ट-2.11 में सूचीबद्ध 52 उपमुख्य शीर्षों से सम्बन्धित ₹ 10 करोड़ से अधिक या एक वर्ष में किये जाने वाले कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक के व्यय अन्तिम तिमाही में या मार्च 2011 में किया गया था। तालिका- 2.8 भी उन मुख्य शीर्षों को प्रदर्शित करती है जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक व्यय या तो वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान किया गया था अथवा अन्तिम माह में किया गया था।



संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010-11 के दौरान इन मुख्य शीर्षों के कुल व्यय ₹ 1110.54 करोड़ का 61.42 प्रतिशत वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में व्यय किया गया। आगे, उपर्युक्त 10 प्रकरणों में, ₹ 10 करोड़ से अधिक का व्यय अकेले माह मार्च 2011 में किया गया था।

ठोस वित्तीय प्रबंधन के लिए व्यय में एकरूपता बनाये रखा जाना चाहिए। वित्तीय विनियमन के दृष्टिकोण के विपरीत सरकार द्वारा भारी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अन्त में किया गया जो व्यय पर कमजोर वित्तीय नियंत्रण का सूचक था।

## 2.4 विभागीय आंकड़ों का असमाशोधन

### 2.4.1 अमूर्त आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में लम्बन

वित्तीय नियम के अनुसार, प्रत्येक आहरण अधिकारी को प्रत्येक अमूर्त आकस्मिक बिल (ए सी बिल) में यह सत्यापित करना होता है कि चालू माह की पहली तिथि से पहले के उसके द्वारा आहरित सभी आकस्मिक प्रभारों के विस्तृत बिल सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारियों को प्रतिहस्ताक्षर हेतु अग्रेषित और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित कर दिये गये हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान, ₹ 101.27 करोड़ के ए सी बिलों के विरुद्ध केवल ₹ 24.12 करोड़ के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों (डी सी सी बिलों) की राशि ही प्राप्त हुई, जिससे 31 मार्च 2011 तक ₹ 77.15 करोड़ के ए सी बिलों का निस्तारण अवशेष पड़ा रहा। वर्षवार विवरण तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका -2.9: अमूर्त आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में लम्बन (31 मार्च 2011 को)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ए सी बिलों की राशि	डी.सी.सी. बिलों की राशि	अवशेष ए सी बिल	
			संख्या	राशि
2008-09	3.25	0.25	02	3.00
2009-10	3.88	2.47	22	1.41
2010-11	94.14	21.40	367	72.74
योग	101.27	24.12	391	77.15

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

जैसा कि ऊपर तालिका से देखा जा सकता है, मार्च 2011 के अंत तक 391 ए सी बिलों की कुल अवशेष धनराशि ₹ 77.15 करोड़ थी। तथापि, सितम्बर 2011 में लम्बित ए सी बिलों के सत्यापन का प्रयास किया गया तथा यह पाया गया कि वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान आहरित 357 ए सी बिलों के विरुद्ध डी.सी.सी. बिलों की कुल धनराशि ₹ 76.93 करोड़ अवशेष थी। आगे यह भी देखा गया कि कुल अवशेष ₹ 76.93 करोड़ में से वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 41.54 करोड़ की बड़ी धनराशि सचिव, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के द्वारा 71 ए सी बिलों के माध्यम से आहरित की गयी तथा यह विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित बिल न प्रस्तुत किये जाने के कारण अवशेष पड़ी थी। वर्ष 2010-11 तक विभागवार लम्बित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित

बिलों के जो 30 सितम्बर 2011 तक के डी सी सी बिलों के लम्बन को दर्शाता विवरण परिशिष्ट-2.12 में किया गया है। अमूर्त आकस्मिक बिल आहरित किए जाने के बाद लम्बे समय तक विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित बिल प्रस्तुत न किये जाने से उनके दुर्विनियोजन का जोखिम है और इसलिये इसके सघन अनुश्रवण की आवश्यकता है।

#### 2.4.2 असमाधानित व्यय

व्यय को बजट आवंटनों के अन्तर्गत रखने और उनके लेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए वित्तीय नियमों में निहित है कि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह उनके अभिलेखों में दर्ज व्यय का समाधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों में दर्ज व्यय से किया जाना चाहिए। यद्यपि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से विभाग के आँकड़ों के असमाशोधन को इंगित किया जाता रहा है फिर भी इस सम्बन्ध में नियंत्रण अधिकारियों के पक्ष से चूकें वर्ष 2010-11 के दौरान भी निरंतर जारी रहीं। लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि 11 नियंत्रण अधिकारियों से सम्बन्धित ₹ 10 करोड़ से अधिक के प्रकरण जिनमें ₹ 4,427 करोड़ शामिल हैं, वर्ष 2010-11 के दौरान असमाधानित रहे जो कुल शुद्ध व्यय ₹ 13,536 करोड़ का 33 प्रतिशत थे जैसा तालिका 2.10 में वर्णित है:

तालिका-2.10: नियंत्रण अधिकारियों की सूची जहाँ 2010-11 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि पूर्णतः असमाधानित रही

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	नियंत्रण अधिकारी	राशि जिसका समाधान नहीं किया गया
1	सचिव, राजस्व विभाग/प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन	331
2	आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून	92
3	प्रमुख सचिव, वित्त	1,122
4	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग	701
5	सचिव, राज्य परिसम्पदा विभाग	480
6	सचिव, महिला एवं शिशु कल्याण	763
7	सचिव, ऊर्जा	113
8	सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	40
9	सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	41
10	सचिव, परिवहन एवं नागरिक उड्डयन	10
11	सचिव, जलापूर्ति	734
योग		4,427

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

इस सम्बन्ध में सूचित करने पर, वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 4,427 करोड़ की बड़ी धनराशि के असमाधानित रहने का कारण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

इस प्रकार, निधियों की जालसाजी एवं दुरुपयोग की संभावना को समाप्त करने के लिए लेखा आँकड़ों के समाधान के प्रयास करने की शीघ्र आवश्यकता है।

## 2.5 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य की ₹ 600 करोड़ के संग्रहण वाली आकस्मिकता निधि की स्थापना की गयी है। इस निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और तात्कालिक प्रकृति के व्यय को पूरा करने हेतु लिये जाते हैं, जिन्हें विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक स्थगित रखना अवांछनीय होगा। यह निधि एक अग्रदाय के स्वरूप की है और इस निधि से किसी अग्रिम आहरण की उसी वित्त वर्ष में प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। तथापि, ₹ 536.71 करोड़ के अग्रिम आकस्मिकता निधि से आहरित किये गये जो 31 मार्च 2011 तक समायोजित किये जाने शेष थे जैसा कि नीचे तालिका 2.11 में दिया गया है।

तालिका-2.11: वर्ष 2010-11 के दौरान आकस्मिकता निधि से किया गया व्यय जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं हुई

(₹ करोड़ में)

क्र. माँक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	पुनर्विनियोग /अभ्यर्पण	योग	वास्तविक व्यय	आकस्मिकता निधि से अग्रिम	स्वीकृति का माह
1	03	2013-मन्त्रिमण्डल	25.89	-	25.89	25.70	16.00	10,11, 12/2010 01,02/2011
2	06	2029-भू राजस्व	122.32	-4.56	117.76	101.45	0.22	12/2010
3	06	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	27.66	-1.16	26.50	29.59	0.46	01,03/2011
4	06	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	175.93	0.00	175.93	165.51	485.79	10,11, 12/2010 01,02, 03/2011
5	07	2052-सचिवालय- सामान्य सेवाएँ	93.46	-16.29	77.17	70.45	0.05	03/2011
6	07	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	17.44	0.00	17.44	17.06	5.47	03/2011
7	13	2217-शहरी विकास	395.75	-1.65	394.10	107.90	1.90	03/2011
8	15	2235- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण	392.40	-4.31	388.09	321.08	1.08	10,12/2010
9	19	2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम	385.43	-29.24	356.19	319.96	14.60	01,02, 03/2011
10	23	3425-अन्य वैज्ञानिक शोध	9.50	0.60	10.10	10.15	2.65	01/2011
11	27	2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी	315.62	0.00	315.62	285.11	0.01	11,12/2010
12	28	2403-पशुपालन	89.24	0.00	89.24	79.20	0.20	05,08, 03/2010
13	29	2401-कृषि कर्म	88.30	-0.32	87.98	86.69	8.28	03/2011
<b>योग</b>			<b>2138.94</b>	<b>-56.93</b>	<b>2082.01</b>	<b>1619.85</b>	<b>536.71</b>	

स्रोत: महालेखाकार (तेखा व हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि ₹ 536.71 करोड़ के व्यय वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि से अग्रिम के माध्यम से रूप में किये गये तथा वर्ष के दौरान इसे निधि में समायोजित नहीं किया गया था जो आकस्मिकता निधि के सृजन के उद्देश्यों को विफल करता है। आकस्मिकता निधि से अग्रिम मुख्यतः प्राकृतिक आपदाओं से राहत (91 प्रतिशत) के कारण

आहरित किए गए थे जो कि पुनःस्थापन एवं राहत कार्यों की दृष्टि से अनुकूल था लेकिन सरकार ने वर्ष के दौरान ₹ 5.47 करोड़ के पूँजीगत व्यय की पूर्ति हेतु आकरस्मिकता निधि से अग्रिम का आश्रय लिया जो वित्तीय प्रबन्धन के विपरीत था।

## 2.6 बजट प्रक्रिया में त्रुटियाँ

वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्य सरकार की बजटीय प्रक्रियाओं में पायी गई कमियाँ या त्रुटियाँ निम्नानुसार थी:

- लघु शीर्ष 900-क्षेत्र-अ, कर-राजस्व के अन्तर्गत वसूली को दिखाया गया है जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची (खण्ड-1) प्रावधान करती है कि लघु शीर्ष-900 वसूली क्षेत्र-अ, कर-राजस्व के अधीन आने वाले प्रत्येक मुख्य/लघु शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जायेगा। विगत प्रतिवेदनों में सूचित किए जाने के बावजूद राज्य-सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है।
- मुख्य शीर्ष 3454 के अन्तर्गत, लघु शीर्ष 001-निदेशन एवं प्रशासन को मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची में यथोपबन्धित 01 की बजाय उप मुख्य शीर्ष 02 के नीचे दर्शाया गया है।
- अनुदान संख्या 14 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष 4059 के नीचे, उपमुख्य शीर्ष 60 को 'अन्य' के रूप में दर्शाया गया है। इसे मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची में यथोपबन्धित 'अन्य भवन' के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- अनुदान संख्या 22 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष 2059 में, उपमुख्य शीर्ष 80 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 102 को 'मरम्मत एवं अनुरक्षण' के रूप में दर्शाया गया है, जबकि इसे मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची के अनुसार उपमुख्य शीर्ष 80 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 053 के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।
- मुख्य शीर्ष 2215 के अन्तर्गत उपमुख्य शीर्ष 04 को 'कस्बों का विकास' के रूप में दर्शाया गया है, जबकि इसे 'झुगियों का विकास' के रूप में अंकित किया जाना चाहिए जैसे कि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची में उपबन्धित है।
- मुख्य शीर्ष 7610 कम्प्यूटर के क्रय पर अग्रिम को लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत उपशीर्ष 03 में दिखाया गया है, जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची के अनुसार इसे लघुशीर्ष-204 के अन्तर्गत दिखाया जाना चाहिए।
- मुख्य शीर्ष 4235 में, 'अपंगों का कल्याण' लघु शीर्ष 104 के अन्तर्गत दर्शाया गया है जबकि इसे 'वृद्धों, अशक्तों एवं निराश्रितों का कल्याण' होना चाहिए। मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची के अनुसार 'अपंगों का कल्याण' लघु शीर्ष 101 में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- अनुदान संख्या 17 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2402 में लघु शीर्ष 101 एवं 102 को क्रमशः 'मृदा संरक्षण एवं परीक्षण' एवं 'जल संरक्षण' के रूप में दर्शाया गया है, जबकि इन्हें मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची के अनुसार 'मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण' व 'मृदा संरक्षण' के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

- अनुदान संख्या-07 में सकल योग के अन्तर्गत राजस्व प्रवर्ग के कुल विनियोग व उसके विस्तृत उप योग में अन्तर है।

## 2.7 चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या 07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और विविध सेवाएँ का समीक्षा हेतु चयन किया गया था जिससे निम्नलिखित उदघाटित हुआ:

### व्यय की तीव्रता

सामान्य वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि वर्ष के दौरान व्यय, माहवार/त्रैमासिक प्रवाह को ध्यान में रखते हुए एक समान रूप से किया जाना चाहिए। अनुदान संख्या 07 (सामान्य सेवाएँ) के प्रकरण में उदघाटित हुआ कि 2010-11 के दौरान निर्धारित मापदण्डों के अनुसार व्यय के समरूप प्रवाह को बनाये नहीं रखा गया जिससे व्यय में तीव्रता आई। विवरण नीचे प्रदर्शित है:

तालिका-2.12: अन्तिम तिमाही/मार्च 2011 माह में व्यय की तीव्रता

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	अन्तिम तिमाही में व्यय	मार्च में व्यय	2010-11 के दौरान कुल व्यय	अन्तिम तिमाही में व्यय का प्रतिशत	मार्च में व्यय का प्रतिशत
1	2030 (दत्तमत)	14.19	11.30	27.19	52.19	41.56
2	3604 (दत्तमत)	207.49	172.83	407.68	50.89	42.39
3	4059 (दत्तमत)	9.82	4.73	19.57	50.17	24.17
4	4216 (दत्तमत)	9.38	5.34	20.54	45.67	26.00
<b>योग</b>		<b>240.88</b>	<b>194.20</b>	<b>474.98</b>	<b>50.71</b>	<b>40.89</b>

स्रोत: महालेखाकार (तेखा व हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

2010-11 की अन्तिम तिमाही में इस अनुदान के अन्तर्गत चार मुख्य शीर्षों में व्यय इस तथ्य के साथ कुल व्यय का 50.71 प्रतिशत था कि इन शीर्षों में कुल व्यय का 40.89 प्रतिशत व्यय अकेले मार्च 2011 में किया गया था जिससे व्यय में तीव्रता आई। यह वित्त विभाग द्वारा व्यय को विनियमित करने में आयोजना का अभाव इंगित करता है।

वर्ष की समाप्ति पर व्यय की तीव्रता निष्फल, निरर्थक या दुर्नियोजित व्यय को बढ़ावा दे सकती है। विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जहाँ तक व्यावहारिक रूप से संभव हो, वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यय करने में तीव्रता से बचने हेतु यथानिर्धारित पूरे वर्ष में एक समान रूप से व्यय किया जाये।

### अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

एक वित्तीय वर्ष के दौरान, अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत अतिरिक्त निधि की आवश्यकता की मध्यकालिक समीक्षा के उपरान्त पूर्वानुमानित व्ययाधिक्य को पूरा करने हेतु अनुपूरक अनुदान लिये जाते हैं। तथापि, यह देखा गया कि अनुदान संख्या 07 के अधीन, बिना किसी

उचित नियोजन के अनुपूरक अनुदान प्राप्त किये गये थे जैसा नीचे तालिका-2.13 में सारणीबद्ध है:

तालिका-2.13: अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त अनुपूरक प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				वास्तविक व्यय	बचत
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		
1.	2052	87.33	6.13	(-) 16.29	77.17	69.37	(-) 7.80
2.	3451	7.26	0.98	(+) 0.44	8.68	3.61	(-) 5.07
3.	3454	16.07	14.15	(-) 5.56	24.66	13.08	(-) 11.58
<b>योग</b>		<b>110.66</b>	<b>21.26</b>		<b>110.51</b>	<b>86.06</b>	

अनुदान संख्या 07 के अन्तर्गत तीन मुख्य शीर्षों हेतु लिये गये ₹ 21.26 करोड़ अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि दो मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत/सम्पूर्ण बचत स्वयं विभाग द्वारा प्राप्त अनुपूरक अनुदान से अधिक थी जबकि मुख्यशीर्ष 3454 के अन्तर्गत प्राप्त अनुपूरक अनुदान का मुख्य अंश विभाग द्वारा अव्ययित रहा।

अतः सरकार को इस जगह पर निधियों के उपयोग के लिए उचित प्रबन्धन को सुनिश्चित करने हेतु उचित व्यवस्था लागू करनी चाहिए।

#### अप्रयुक्त प्रावधान

विभिन्न विकास कार्यक्रमों/योजनाओं के संचालन हेतु वार्षिक वित्त विवरणी में विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए प्रावधान है। अनुदान संख्या 07 में कतिपय उपशीर्षों के अन्तर्गत यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के अन्त तक सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका-2.14 लेखाशीर्षों का विवरण जिनमें आवंटित धनराशि का बिल्कुल उपयोग नहीं हुआ

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	बचत
1	2040-00-800-06	5.00	5.00
2	2052-00-800-03	4.50	4.50
3	3451-00-092-06	2.50	2.50
4	3604-01-192-04	0.50	0.50
	<b>योग</b>	<b>12.50</b>	<b>12.50</b>

वर्ष 2010-11 के दौरान अनुदान संख्या 07 के विभिन्न मुख्य शीर्षों की योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत ₹ 12.50 करोड़ का आवंटित सम्पूर्ण बजट अप्रयुक्त पड़ा रहा। यह इंगित करता है व्यय जैसे कि प्राक्कलित और नियोजित था नहीं किया जा सका। निधियों की अनुकूलतम प्रयुक्ति को सुनिश्चित करने हेतु इस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

## 2.8 निष्कर्ष

₹ 1,067.60 करोड़ की समग्र बचत विभिन्न अनुदानों एवं विनियोगों में ₹ 2,362.99 करोड़ की बचत का परिणाम थी जो छः अनुदानों व तीन विनियोगों में ₹ 1,295.39 करोड़ के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई।

वर्ष के दौरान छः अनुदानों व तीन विनियोगों के अन्तर्गत दस मामलों में अनुमोदित प्रावधान पर ₹ 1,295.39 करोड़ के व्ययाधिक्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमित किये जाने की आवश्यकता है। राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, वित्त कर नियोजन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति आवास एवं शहरी विकास, कल्याण एवं ग्राम्य विकास क्षेत्रों में पिछले पाँच वर्षों के दौरान निरन्तर भारी बचत दर्शायी गयी। निधियों का अपर्याप्त प्रावधान और अनावश्यक/अधिक पुनर्विनियोजन के प्रकरण भी थे। अन्तिम तिमाही/वित्त वर्ष के अन्त में व्यय की तीव्रता विभागों में अपर्याप्त बजट नियन्त्रण या इसके आभाव को इंगित करती थी। बहुत से प्रकरणों में, पूर्वानुमानित बचतें या तो अभ्यर्पित नहीं की गयी थीं या वर्ष के अन्त में मार्च माह में समर्पित की गयीं जिसके कारण दूसरे विकासात्मक उद्देश्यों हेतु इन निधियों के उपयोग की संभावना नहीं बची थी। आकस्मिकता निधि से स्वीकृत आहरण (यद्यपि कई प्रकरणों को तात्कालिक प्रकृति का न होने के बावजूद आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया था) तथा वर्ष के अन्त तक उसका समायोजन नहीं हुआ था जिससे आकस्मिकता निधि के बनाये जाने का उद्देश्य विफल होता है।

वित्तीय प्रबंधन में इस प्रकार की कमियों से बचने के लिये बजटीय नियन्त्रणों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अन्तिम क्षणों में निधियों की अवमुक्ति और पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण के आदेशों को जारी करने से बचना चाहिए। सरकार को आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति केवल अप्रत्याशित एवं तात्कालिक प्रकृति के व्यय को वहन करने के लिए प्रदान करनी चाहिए तथा निधियों के समय पर समायोजन की प्रणाली को कारगर बनाना चाहिए ताकि इसके सृजन का उद्देश्य बना रहे। नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा एक कठोर अनुश्रवण तन्त्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि नियत समय सीमा के अन्तर्गत अमूर्त आकस्मिकता बिलों के समायोजन को सुनिश्चित किया जा सके।